संख्या 3317 / ||-2008-~~12/1(11)~~ 5(04)/ 06

प्रेषक,

अजय सिंह नबियाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

सिंचाई विभाग देहरादून : दिनांक 07 अक्टूबर 2008

विषयः वित्तीय वर्ष 2008-09 में जनपद हरिद्वार में भोगपुर से बालावाली तक मार्जिनल बन्ध बनाने की केन्द्रपुरोनिधानित बाढ़ सुरक्षा योजना हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0-3823/मु0अ0वि0/बजट/बी-1 सामान्य दिनांक 30.08.08 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार में भोगपुर से बालावाली दांयी मार्जिनल तटबन्ध की योजना के लिये केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार के पत्र सं0-41(6)/PF-1-2007-358, दिनांक 31.03.08 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0-347.00 लाख, जिसमें से रु0-300.00 लाख शासनादेश सं0-1750/||-2008-04(04)/04, दिनांक 30.05.08 द्वारा अवमुक्त की गयी है, के क्रम में केन्द्रांश के रूप में शेष धनराशि रू0-47.00 लाख (रू0 सैंतालीस लाख मात्र) संलग्न बी0एम-15 के विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग द्वारा व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1- सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उसी योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

2- धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यों के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

3- उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय -समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4- जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीक का प्रयोग किया जाय।

5- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड, राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

.........2

6— कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7— विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8— धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

9— स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0 31.03.09 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा, स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपभोग के बाद ही परिव्यय की उपलब्धता पर अग्रिम किस्त स्वीकृत की जायेगी ।

10— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008—09 के आय—व्ययक की अनुदान संख्या—20 में आयोजनागत मद के अन्तर्गत मतदेय के लेखाशीर्षक 4711—बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, 01—बाढ़ नियंत्रण आयोजनागत 103—सिविल निर्माण कार्य 01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 01—नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजना में 24—वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 788 /XXVII-2/2008 दिनांक 3.10.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नः यथोक्त

भवदीय,

(अजय सिंह नबियाल)
अपर सचिव

संख्या 3317/II—2008—4(04)/08 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2—निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3—वित्त अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन ।
4—नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
5—मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
6—निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय ।
7—वरिष्ठ कोषाधिकारी हरिद्वार।
8—निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9—गार्ड फाईल।

संलग्नः यथोक्त

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव

नियन्त्रक अधिकारी मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
प्रशासनिक विभाग सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन।
वित्तीय वर्ष 2008–09 अनुदान संख्या 29

(धनराशि हजार रुपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सम्भावित धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 05–सिंचाई विभाग की नयी योजनायें 800–अन्य व्यय 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0196–ए०आई०बी०पी० की सिंचाई योजनायें 24–वृहद् निर्माण कार्य 1680000	102500	1007500	4700	4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01–बाढ़ नियंत्रण आयोजनागत 103–सिविल निर्माण कार्य 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 01–नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजना 24–वृहद् निर्माण कार्य 30000	34700	1575300	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना जनपद हरिद्वार में भोगपुर से बालावाली दांयी मार्जनल तटबन्ध की योजना के लिये केन्द्र द्वारा रू0–34700 हजार स्वीकृत किया गया, किन्तु बजट प्राविधान रू0–30000 हजार होने के कारण इतनी ही धनराशि अवमुक्त की जा सकी जो विभाग द्वारा व्यय की जा चुकी है। केन्द्र पोषित योजना में केन्द्रांश की धनराशि पूर्ण रूप से अवमुक्त किये जाने के लिये रू0–4700 हजार मात्र की आवश्यकता है जिसके लिये पुनर्विनियोग किया जाना प्रस्तावित है। योजना के राज्यांश वर्तमान लागत के सापेक्ष पूर्व में ही अवमुक्त किया जा चुका है।
योग 1680000	102500	1007500	4700	30000	34700	1575300	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं योजनाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(एस०के०…)
अनु सचिव

......2

-2-

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-2

पत्रांक 788(A)/XXVII(2)/2008
देहरादून: दिनांक 2 अक्टूबर, 2008

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(एम0सी0जोशी)
अपर सचिव

महालेखाकार उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सं0 3317/II-2007-5(04)/2007 दिनांक 07-10-08

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वित्त अनुभाग-2 ।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, हरिद्वार ।
3. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव।